



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092022-238913
CG-DL-E-19092022-238913

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 627]
No. 627]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 19, 2022/भाद्र 28, 1944
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 19, 2022/BHADRA 28, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 708(अ).—केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया (शनाख्त) अधिनियम, 2022 (2022 का 11) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया (शनाख्त) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं**— (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - “अधिनियम” से दंड प्रक्रिया (शनाख्त) अधिनियम, 2022 (2022 का 11) अभिप्रेत है;
 - “प्राधिकृत उपयोक्ता” से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का कोई पुलिस अधिकारी या कारागार अधिकारी, जो डाटा तक पहुंच के लिए ब्यूरो द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, अभिप्रेत है;
 - “ब्यूरो” से राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो और इसके नियंत्रण के अधीन इकाईयां अभिप्रेत है;
 - “डाटा” से माप के रिकार्ड में अंतर्विष्ट सूचना अभिप्रेत है;
 - “युक्ति” से ब्यूरो से रजिस्ट्रीकृत कोई उपस्कर या माप के रिकार्ड के संग्रहण या भंडारण या मैचिंग के लिए प्रयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र अभिप्रेत है;

(च) “माप” के अंतर्गत अंगुलि-चिह्न, हथेली-छाप चिह्न, पद-छाप चिह्न, फोटो, पुतली और दृष्टिपटल स्कैन, शारीरिक या जैविक नमूने और उनका विश्लेषण, व्यवहार संबंधी विशेषताएं, जिसके अंतर्गत हस्ताक्षर, लिखावट या कोई अन्य परीक्षण, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 53 या धारा 53क में निर्दिष्ट हैं, सम्मिलित है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में है।

3. माप लेना.— (1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, प्राधिकृत उपयोक्ता या माप लेने में कुशल कोई व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यावसायी या कोई अन्य व्यक्ति जो, इस निमित्त प्राधिकृत हो, माप ले सकेगा।

परन्तु भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) के अध्याय 9क और अध्याय 10 के अधीन किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति की माप, पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधिक्षक की पंक्ति के नीचे का न हो, के पूर्व लिखित अनुमोदन से ली जाएगी;

परन्तु यह और कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 144 या धारा 145 के अधीन जारी किए गए किसी प्रतिषेधात्मक आदेश के उल्लंघन से आरोपित या धारा 151 के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति की माप, तब तक नहीं ली जाएगी जब तक ऐसा व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय किसी अन्य अपराध के संबंध में आरोपित न किया गया हो या गिरफ्तार न किया गया हो;

परन्तु यह और भी कि ऐसे व्यक्ति की माप, उक्त संहिता की धारा 107 या धारा 108 या धारा 109 या धारा 110 के अधीन प्रक्रिया के आरंभ करने पर नहीं ली जाएगी, जब तक ऐसे व्यक्ति को उक्त धाराओं के अधीन कार्यवाही के लिए उक्त संहिता की धारा 117 के अधीन अपने सदाचार या परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने के लिए आदेशित न किया गया हो।

(2) ब्यूरो, माप लेने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी करेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:-

- (क) माप लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपस्करों या युक्तियों के विनिर्देश;
- (ख) अपनाए जाने वाली माप के विनिर्देश और रूपविधान जिसमें डिजिटल और भौतिक शामिल हैं;
- (ग) ब्यूरो के डाटा से संगत रूपविधान में, राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के स्तर पर, डाटा में मापों के हैंडलिंग और भंडारण की रीति;
- (घ) माप लेने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र;

परन्तु राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, जो अपने सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र का उपयोग कर रहे हैं, ब्यूरो के साथ माप साझा करने या माप को रिकार्ड करने के लिए संगत अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग अंतरापृष्ठ उपलब्ध कराएगा।

4. ऐसा व्यक्ति, जो माप के लिए जाने को अनुज्ञात करने का प्रतिरोध या इन्कार करता है, के माप को लेने की रीति.— यदि कोई व्यक्ति, जिससे इस अधिनियम के अधीन लिए जाने वाले माप को अनुज्ञात करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसी माप को लेने के लिए अनुज्ञात करने का प्रतिरोध करता है या उससे इन्कार करता है, तो प्राधिकृत उपयोक्ता दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 53 और धारा 53क के उपबंधों के अनुसार माप लेगा।

5. माप के संग्रहण, भंडारण, परिरक्षण, प्रक्रमण, साझा करने, प्रसार, नष्ट और निपटान करने की रीति.— (1) माप का रिकार्ड सुरक्षित और कोडीकरण रूपविधान में ऐसे भंडारित और परिरक्षित किया जाएगा, जैसे मानक प्रचालन प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) यदि कोई माप भौतिक प्ररूप या गैर-मानक डिजिटल रूपविधान में संग्रहित की गई है, तो यह मानक डिजिटल रूपविधान में संपरिवर्तित कर दी जाएगी और इसके पश्चात् मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार डाटा में अपलोड की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे, अर्थात्:-

- (क) रजिस्ट्रीकृत युक्ति में उपयोग किए गए डाटा में माप अपलोड करने के लिए किसी प्राधिकृत उपयोक्ता द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया;

- (ख) मानक डिजिटल रूपविधान जिसमें माप का प्रत्येक प्रकार डाटा में अपलोड करने से पहले संपरिवर्तित किया जाएगा;
- (ग) पालन की जाने वाली कोडीकरण रीति;
- (घ) युक्ति रजिस्ट्रीकृत करने की रीति।
- (3) कोई प्राधिकृत उपयोक्ता, किसी व्यक्ति की माप के रिकार्ड को मैच करने के लिए, युक्ति के माध्यम से, ब्यूरो को अनुरोध अग्रेषित करेगा और ब्यूरो रिकार्ड को मैच करेगा तथा यथाशीघ्र सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से प्राधिकृत उपयोक्ता को रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा।
- (4) रिकार्ड के नष्ट करने और निपटान करने के लिए प्रक्रिया मानक प्रचालन प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट की जाएगी।
- (5) (i) माप के रिकार्ड को नष्ट करने के लिए कोई अनुरोध अपराधिक मामले जिसमें माप ली गई थी, उससे संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या केन्द्रीय सरकार, जैसा की मामला हो, द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए नोडल अधिकारी को किया जाएगा।
- (ii) माप के रिकार्ड को नष्ट करने के लिए अनुरोध, नोडल अधिकारी की सिफारिश, यह सत्यापित करने के पश्चात् कि मापों का ऐसा रिकार्ड किसी अन्य अपराधिक मामले से संबंधित नहीं है, ब्यूरो को की जाएगी।
- (6) इस अधिनियम के अधीन संग्रहित किए गए डाटा की अनाधिकृत पहुंच, वितरण या साझा करने का कोई कृत्य, दंड प्रक्रिया संहिता, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार दंडनीय होगा।

6. ब्यूरो द्वारा जारी की गई मानक प्रचालन प्रक्रिया का अनुपालन.— राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या केन्द्रीय सरकार की विधि प्रवर्तन एजेंसी अपने प्राधिकृत उपयोक्ता से मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन कराएगी।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए, “मानक प्रचालन प्रक्रिया” से समय-समय पर माप के रिकार्ड के संग्रहण, भंडारण, प्रक्रमण, मैचिंग, नष्ट या निपटान करने के लिए ब्यूरो द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश या मानक या विनिर्देश अभिप्रेत है।

[फा. सं. 16012/2/2014—पी.आर.]

अरुण सोबती, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2022

G.S.R. 708(E).—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Criminal Procedure (Identification) Act, 2022 (11 of 2022), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

- 1. Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Criminal Procedure (Identification) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) “Act” means the Criminal Procedure (Identification) Act, 2022 (11 of 2022);
 - (b) “authorised user” means a police officer or a prison officer of the Central Government or State Government or Union territory Administration, authorised by the Bureau, to access the database;
 - (c) “Bureau” means the National Crime Records Bureau and the units under its control;
 - (d) “database” means the information containing the record of measurements;
 - (e) “device” means an equipment or the information technology system used for collection or storage or matching of the record of measurements, registered with the Bureau;

- (f) "measurements" includes finger-impressions, palm-print impressions, foot-print impressions, photographs, iris and retina scan, physical, biological samples and their analysis, behavioural attributes including signatures, handwriting or any other examination referred to in section 53 or section 53A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. Taking of measurements.- (1) The authorised user or any person skilled in taking the measurements or a registered medical practitioner or any other person so authorised in this behalf may take the measurements of a person for the purposes of the Act;

Provided that the measurements of a person arrested in connection with an offence under Chapter IXA or Chapter X of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) shall be taken with the prior written approval of a Police officer not below the rank of Superintendent of Police:

Provided further that the measurements of a person charged with violation of any prohibitory order issued under section 144 or section 145 or arrested under section 151 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall not be taken unless such person is charged or arrested in connection with any other offence punishable under any other law for the time being in force:

Provided also that the measurements of a person shall not be taken on the initiation of proceeding under section 107 or section 108 or section 109 or section 110 of the said Code unless such person has been ordered to give security for his good behaviour or maintaining peace under section 117 of the said Code for a proceeding under the said sections.

(2) The Bureau shall issue the Standard Operating Procedures for taking the measurements, which may include the following, namely:

- (a) specifications of the equipments or devices to be used for taking measurements;
- (b) specifications and the format, including digital or physical, of the measurements to be taken;
- (c) method of handling and storage of measurements in the database at the level of State Government or Union territory Administration in a format compatible with the database of the Bureau;
- (d) information technology system to be used for taking of measurements:

Provided that the State Government or Union territory Administration using its own information technology system shall provide compatible application programming interfaces for sharing the measurements or record of measurements with the Bureau.

4. Manner of taking of measurements of a person who resists or refuses to allow taking of measurements. - If any person who is required to allow the measurements to be taken under the Act resists or refuses to allow taking of such measurements, the authorised user shall take the measurements in accordance with the provisions of sections 53 and 53A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

5. Manner of collection, storing, preservation, processing, sharing, dissemination, destruction and disposal of measurements. - (1) The record of measurements shall be stored and preserved in a secure and encrypted format as specified in the Standard Operating Procedures.

(2) In case any measurement is collected in physical form or in a non-standard digital format, it shall be converted into standard digital format and thereafter uploaded in the database as per the Standard Operating Procedures, which may include the following, namely:-

- (a) process to be followed by an authorised user for uploading the measurements in the database using the registered device;
- (b) standard digital format in which each type of measurements shall be converted before uploading into the database;
- (c) encryption method to be followed;
- (d) manner of registering the device.

(3) An authorised user, for matching the record of measurements of a person, shall forward the request to the Bureau through the device and the Bureau shall match the record and provide report to the authorised user through secure network as soon as possible.

(4) The procedure for destruction and disposal of records shall be specified in the Standard Operating Procedures.

(5) (i) Any request for destruction of record of measurements shall be made to the Nodal Officer to be nominated by the respective State Government or Union territory Administration or Central Government, as the case may be, concerned with the criminal case in which the measurements were taken.

(ii) The request for destruction of the record of measurements shall be recommended by the Nodal Officer to the Bureau after verifying that such record of measurements is not linked with any other criminal cases.

(6) Any act of unauthorised access, distribution or sharing of data collected under the Act shall be punishable as per the provisions of the Indian Penal Code, 1860 and the Information Technology Act, 2000.

6. Compliance with the Standard Operating Procedure issued by the Bureau.- The State Government or Union territory Administration or the law enforcement agency of the Central Government shall cause its authorised user to comply with the Standard Operating Procedures.

Explanation:- For the purposes of this rule, “Standard Operating Procedures” means any guidelines or standards or specifications issued by the Bureau for collection, storage, processing, matching, destruction or disposal of the record of measurements from time to time.

[F. No. 16012/2/2014-PR]

ARUN SOBTI, Dy. Secy.